भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *107

उत्तर देने की तारीख : 09.02.2023

धनराशि का आबंटन तथा उपयोग

***107. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 4700 करोड़ रू., 5029 करोड़ रू. और 4810.77 करोड़ रू. के बजटीय आवंटन में से, मंत्रालय क्रमश: वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-2022 के दौरान 4505.10 करोड़ रू 3998.57 करोड़ रू. और 2342.23 करोड़ रू. ही व्यय कर पाया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आबंटित धनराशि के इतने कम उपयोग के क्या कारण है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा धनराशि के समुचित उपयोग के साथ-साथ निर्धारित लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''धनराशि का आबंटन तथा उपयोग'' के संबंध में श्री बालाशौरी वल्लभनेनी और श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा उठाए गए एवं दिनांक 09.02.2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *107 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है।

2. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए विशेष रूप से देश भर में विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

क. शैक्षणिक सशक्तीकरण योजनाएं

(1) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना

(2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

(3) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

ख. रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

(4) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)

(5) अल्पसंख्यकों को रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) को इक्विटी

ग. विशेष योजनाएं

(6) जियो पारसी : भारत में पारसियों की आबादी में हो रही गिरावट को रोकने हेतु योजना

(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (SWSVY)

घ. अवसंरचना विकास कार्यक्रम

(8) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

3. वर्तमान में PMJVK योजना के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के राज्य नोडल एजेंसी (SNA) के खातों में लगभग 2509 करोड़ रूपए की संचयी शेष राशि पड़ी हुई है और चालू वित्त वर्ष के खत्म होने के बाद भी इसका एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया गया है। तद्नुसार PMJVK के बजट अनुमान को चालू वित्त वर्ष के दौरान 1650 करोड़ के स्थान पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 600 करोड़ रू. कम कर दिया गया है।

4. व्यय की तुलना में बजट आबंटन का वर्षवार विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**बजट अनुमान (BE)**	**वास्तविक व्यय**
2019-20	4700.00	4505.13
2020-21	5029.00	3998.56
2021-22	4810.77	4325.24

(ग): कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लगे प्रतिबंधों ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत अधिकांश गतिविधियों को बाधित किया। हालांकि, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किया कि योजनाओं के लाभार्थियों को वांछित सहायता और समर्थन मिले। समय पर निगरानी ने समयबद्ध तरीके से बजट का व्यय सुनिश्चित किया।

*****